

अति तत्काल
तिथि बद्ध

विषय:— हरियाणा सिविल सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के निवास स्थान का सम्पूर्ण पता भेजने बारे ।

क्या मुख्यमंत्री/मंत्रियों/राज्य मंत्रियों/मुख्य सचिव/मुख्य प्रधान सचिव मुख्य मंत्री/प्रधान सचिव मुख्य मंत्री/अतिरिक्त प्रधान सचिव मुख्य मंत्री/उप प्रधान सचिव मुख्य मंत्री/विशेष कार्यकारी मुख्य मंत्री/सलाहकार मुख्य मंत्री/अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विशेष सचिव/अतिरिक्त सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव के विशेष वरिष्ठ सचिव/ वरिष्ठ सचिव/सचिव/निजि सचिव/निजि सहायक एवं हरियाणा सिविल सचिवालय में स्थित शाखाओं में पदस्थ अधीक्षक/उप अधीक्षक/इन्चार्ज उपरोक्त विषय की ओर ध्यान देने का कष्ट करेंगे ?

2. समय-समय पर प्रशासकीय अधिकारी शाखा द्वारा यह हिदायतें जारी की जाती रही है कि सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के निवास स्थान का वर्तमान सही पता स्थानीय सहायक के पास भेजा जाये। परन्तु यह अनुभव किया गया है कि प्रायः जब अधिकारी/कर्मचारी अपना निवास स्थान बदल लेते हैं तो इसकी सूचना स्थानीय सहायक को नहीं भेजी जाती, जिस कारण से अधिकारियों/कर्मचारियों के निवास स्थान का सही/पूरा पता उपलब्ध न होने के कारण अति तत्काल प्रवृत्ति के सरकारी कार्य हेतु किसी अधिकारी/कर्मचारी को बजट सत्र/चुनाव के दौरान व अन्य परिस्थितियों में भी महत्वपूर्ण प्रेषित करने में अथवा कार्यालय बुलाने में काफी कठिनाई होती है। अतः आपसे अनुरोध है कि अपने अधीन कार्यरत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के निवास स्थान का वर्तमान पता (दूरभाष/मोबाईल न0 सहित) दोहरी प्रति में प्रशासकीय अधिकारी शाखा, कमरा न0 39, पांचवी मंजिल, हरियाणा सिविल सचिवालय को दिनांक 30.12.2022 तक भिजवाना सुनिश्चित करें तथा इसकी एक सूची अपने कार्यालय में भी डिस्पले करवायें। भविष्य में यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी के पते में परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना स्थानीय सहायक के पास पत्र तथा ई-मेल (angad.bisht@hry.gov.in) के माध्यम से भिजवाना भी सुनिश्चित करें। यदि शाखा/कार्यालय इन्चार्ज अपने तथा सम्बन्धित स्टाफ के निवास स्थान का वर्तमान सही पता प्रशासकीय अधिकारी शाखा (स्थानीय सहायक) के पास नहीं भेजा गया तो भविष्य में पत्राचार या सरकारी कार्य हेतु आप स्वयं जिम्मेवार होंगे अर्थात् पत्राचार/अन्य सरकारी कार्य से सम्बन्धित प्रशासकीय अधिकारी शाखा की कोई भी जिम्मेवारी नहीं होगी।

कृपया इसे अति आवश्यक समझें।



प्रशासकीय अधिकारी,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

मुख्यमंत्री/मंत्रियों/राज्य मंत्रियों/मुख्य सचिव/प्रधान सचिव मुख्य मंत्री/अतिरिक्त प्रधान सचिव मुख्य मंत्री/उप प्रधान सचिव मुख्य मंत्री/विशेष कार्यकारी मुख्य मंत्री/सलाहकार मुख्य मंत्री/अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विशेष सचिव/अतिरिक्त सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव के विशेष वरिष्ठ सचिव/ वरिष्ठ सचिव/सचिव/निजि सचिव/निजि सहायक एवं हरियाणा सिविल सचिवालय में स्थित शाखाओं में पदस्थ अधीक्षक/उप अधीक्षक/इन्चार्ज ।

अशा: क्रमांक: 25/01/90- आर.ए.(ए.डी.ओ.)

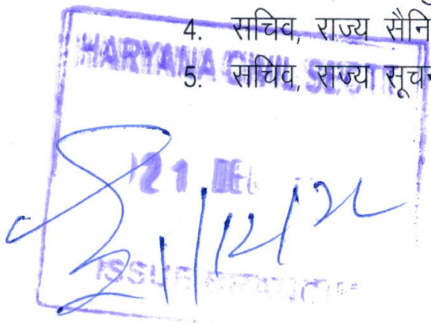
दिनांक, चण्डीगढ़: 20 दिसम्बर 2022

पृ0 क्रमांक: 25/01/90- आर.ए.(ए.डी.ओ.)

दिनांक, चण्डीगढ़: 21 दिसम्बर 2022

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित कार्यालयों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:—

1. सचिव/मुख्य सूचना आयोग, हरियाणा।
2. सचिव/कर्मचारी चयन आयोग, हरियाणा, पंचकूला।
3. रजिस्टार/लोकायुक्त हरियाणा।
4. सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड, हरियाणा पंचकूला।
5. सचिव, राज्य सूचना आयोग, हरियाणा।


21/12/22
ISSUED



प्रशासकीय अधिकारी,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।